रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 1967/अग्रहायण 24, 1889

No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1967/AGRAHAYANA 24, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 15th December 1967

No. 16(5)Plant(B)/67.—In Government's letter No. 16(2)Plant(B)/65 dated the 28th October, 1966, the Tariff Commission was requested under section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to conduct necessary enquiries in regard to the cost of production of raw rubber and to submit a report on the fair prices for its different grades and qualities. The Commission has submitted its report wherein the following recommendations have been made:—

(1) An census of actual area under rubber with special reference to mature area should be undertaken by the Rubber Board with the assistance of Revenue authorities in order to make more reliable data available.

(2) The Rubber Boards estimate of an average yield of 294 Kg. per hectare (262 lbs per acre) in the small holdings sector is an under-estimate. It is desirable to devise more stringent measures of checking transactions by dealers to ensure not only the correct data of production but also the assessment of the cess actually due.

(3) The existing differentials in the prices of grades of rubber should be retained as they are.

(4) For an orderly marketing of indigenous production, it is necessary that imports should come in regular monthly instalments and not as has happened during the latter half of 1966 in large quantities, just when the tapping of trees is at its height.

(5) The Rubber Board should be consulted both on the volume and programming of imports. The imports should be evenly spread out over the year.

(6) The expenses incurred by a planter for replantation should be considered as capital investment and this replantation cost must be earned through the sale of rubber. One half of the development expenses (*viz.*, Rs. 11.67) should be included in the retention price of the grower. A new scale of subsidy is recommended to be paid to the growers to enable them to meet the cost of replantation which will not be fully recovered through the retention price.

(7) A price of Rs. 415 per 100 kgs. should be fixed as the price to be retained by the growers f.o.b. Cochin for R.M.A. 1 grade rubber. This will be exclusive of sales-tax and cess. The prices for other grades and for preserved latex will be fixed after adjustment of grade differentials indicated by the Commission.

(8) A reduction in the cess needs to be considered by Government.

(9) The rehabilitation allowance provided for replantation in Kanyakumari district of Madras State is not on a par with that in the rest of the State, and needs to be looked into by the Government of Madras.

2. Government accept recommendations (1) and (3) above.

3. Government have taken note of the recommendation (2) above.

4. Government have taken note of the recommendations (4) & (5) above and steps will be taken to implement them to the extent practicable.

5. Recommendation (6) is under examination by the Government.

6. Government have already accepted recommendation (7) in para 1 of their Resolution No. 19(15)Plant(B)/67 dated the 26th September, 1967 published in the Gazette of India Extraordinary dated the 27th September, 1967.

7. Keeping in view the expansion of the developmental and research activities of the Rubber Board for further development of the rubber plantation industry, Government do not consider it feasible to reduce the existing rate of cess on rubber, *viz.*, 30 Paise per kg., as suggested by the Commission in recommendation (8) above.

8. Government have brought the recommendation (9) to the notice of the Government of Madras for necessary action.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. BANERJEE, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1967

सं० 16(5)/प्लांट (बी)/67.—टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12 (घ) के अधीन सरकार के पत्र संख्या 16(2) प्लाण्ट (बी)/65 दिनांक 28 अक्तूबर, 1966 के द्वारा टैरिफ आयोग से कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने और इसकी विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के लिए उचित मूल्य के संबंध में प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं।

(1) रबड़ बोर्ड द्वारा राजस्व अधिकारियों की सहायता से रबड़ के वास्तविक क्षेत्र, विशेषतः पूर्व विकसित क्षेत्र की गणना की जानी चाहिए ताकि अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें।

(2) रबड़ बोर्ड का प्रति हेक्टर 294 कि० ग्रा० (प्रति एकड़ 262 पौंड) की औसत उपज का अनुमान कम है। यह वांछनीय है कि व्यापारियों के व्यापारिक कारोबार की जांच करने के अधिक कठोर उपाय निकाले जाएं जिनसे न केवल उत्पादन के सही आंकड़े मिलना अपितु वास्तव में देय उपकर का आकलन करना भी सुनिश्चित हो सके।

(3) रबड़ की श्रेणियों के मूल्यों में विद्यमान अंतर यथावत रखे जाने चाहिएं।

(4) स्वदेशी उत्पादन के व्यवस्थित विपणन के लिए यह आवश्यक है कि आयात नियमित मासिक किस्तों में आने चाहिए न कि इस तरह जैसे कि 1966 के उत्तरार्द्ध में हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा उस समय आई जबकि पेड़ों की चुआई का कार्य चरमसीमा पर था।

(5) आयातों के परिणाम और उनके कार्य-क्रम के संबंध में रबड़ बोर्ड का परामर्श लिया जाना चाहिए, आयात समान मात्रा में वर्ष भर में किये जाने चाहिए।

(6) उत्पादकों द्वारा पुनर्रोपण पर किए गए खर्चों को पूंजीगत निवेश माना जाना चाहिए और इस पुनर्रोपण लागत को रबड़ की बिक्री से उपर्जित किया जाना चाहिए। विकास खर्चों का अर्द्धांश (अर्थात 11.67 रुपए) उत्पादकों के धारण मूल्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उत्पादकों को दिए जाने वाले उपदान की नई दर की सिफारिश की जाती है ताकि वे पुनर्रोपण की लागत को पूरा कर सकें जोकि धारण मूल्य के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकेगी।

(7) उत्पादकों द्वारा धारण के लिए आर० एम० ए० (1) श्रेणी के रबड़ का कोचीन में जहाज तक निःशुल्क प्रति 100 किग्रा 415 रुपए मूल्य नियत किया जाना चाहिए। इसमें बिक्री कर तथा उपकर शामिल नहीं होगा। अन्य श्रेणियों के रबड़ तथा परिरक्षित रबड़-दुग्ध के मूल्य आयोग द्वारा बताए गये श्रेणी विभेदों का समजन करने के पश्चात् नियत किए जायेंगे।

(8) सरकार द्वारा उपकर में कमी करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(9) मद्रास राज्य के कन्याकुमारी जिले में पुनर्रोपण के लिये दिया जाने वाला पुनःस्थापन भत्ता राज्य के शेष भागों के समान नहीं है और इस विषय पर मद्रास सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

2. सरकार उपर्युक्त सिफारिश (1) तथा (3) को स्वीकार करती है।

3. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश (2) नोट करली है।

4. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश (4) तथा (5) को देख लिया है और जहाँ तक व्यवहार्य होगा उन्हें कार्यन्वित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

5. सिफारिश (6) सरकार के विचाराधीन है।

6. सरकार ने सिफारिश (7) को भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1967 में प्रकाशित अपने संकल्प संख्या 19(15) प्लाण्ट (बी)/67 दिनांक 26 सितम्बर, 1967 के पैरा 1 के द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया है।

7. रबड़ बागान उद्योग के और विकास के लिए रबड़ बोर्ड की विकासात्मक तथा गवेषणात्मक गतिविधियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुये सरकार रबड़ पर विद्यमान उपकर के दर, अर्थात् 30 पैसे प्रति किग्रा को कम करना, जैसा कि उपर्युक्त सिफारिश (8) में आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, व्यवहार्य नहीं समझती।

8. सरकार ने मद्रास सरकार का ध्यान उपर्युक्त सिफारिश (9) की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये दिलाया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी सम्बद्धों को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम० बनर्जी

उप-सचिव, भारत सरकार।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967